www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञाप्ति
दिनांक: 06.03.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के अलग अलग मामलों में मध्य रेलवे के मुख्य चालक दल नियंत्रक एवं उत्तर रेलवे के कर्मी को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 20,000 रू. की मॉंग व स्वीकार करने पर मध्य रेलवे, सोलापुर मण्डल, वाड़ी, जिला गुलबर्गा (कर्नाटक) के मुख्य चालक दल नियंत्रक को गिरफ्तार किया।

भारतीय दण्ड संहिता, 1988 की धारा 7 के तहत मध्य रेलवे, सोलापुर मण्डल, वाड़ी, जिला गुलबर्गा (कर्नाटक) के मुख्य चालक दल नियंत्रक के विरूद्ध अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर, 2016 के महीने के दौरान भोजन के कूपनों, गैस सिलेन्डरों व सफाई सामग्रियों पर किए गए खर्चो हेतु 11 लाख रू. के शिकायतकर्ता के दावों को सत्यापित करने के लिए उससे 20,000 रू. की घूस की मॉंग के आरोप पर मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 20,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

एक अन्य मामले में, सीबीआई ने डी.आर.एम., उत्तर रेलवे, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय में कार्यरत एक ट्रैकमैन को शिकायतकर्ता से 30,000 रू. घूस मॉंगने व स्वीकार करने पर गिरफ्तार किया।

उक्त आरोपी के विरूद्ध शिकायतकर्ता से उसके भारी वाहन (ट्रोल्ला) को रेलवे क्रासिंग से पार करने हेतु 30,000 रूपये की अवैध रिश्वत की मॉंग के आरोप पर मामला दर्ज हुआ। सीबीआई ने जाल बिछाया एवं आरोपी को शिकायतकर्ता से 20,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा।

आरोपी को नामित अदालत में पेश किया गया एवं न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

****